

# आवश्यक सूचना

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के विज्ञापन क्रमांक 52/2015 द्वारा दिनांक 06.09.2015 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2015 संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. के पत्र क्रमांक /अ-3-अ/रथा0/5/13/2868 दिनांक 15.07.15 के तारतम्य में निरस्त कर दी गई थी ।

उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई परीक्षा शुल्क की राशि वापिस करने की प्रक्रिया एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से की जाना है । शुल्क वापसी हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी., जन्म दिनांक, बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, आई.एफ.एस कोड एवं बैंक का नाम) तथा पता दिनांक 20.06.2016 से 20.07.2016 तक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें, ताकि राशि वापसी की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।



## प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

“चयन भवन” मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462011,  
फोन- 0755-2578801, 2578802, 2578803, 2578804,